

रिपोर्ट पटवारी व मू-अभिलेख निरीक्षक- श्रीमानजी निवेदन है की

म पाटवारी की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाना संख्या 162 में जाची का नाम श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह वर्ज है जबकि दस्तावेज आद्याकार्ड, वेनकार्ड, कार्ड में जाची का नाम श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह ही जनाम आममें बुद्धाद कलेस एड सी एमिटे के नाम होना बताया गया है अतः श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह के स्थान पर श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह शुद्ध किया जाना उचित है

[Signature]
पटवारी पाटवारी

2-6-23
रिपोर्ट तेहसीलदार/नायब तेहसीलदार-

901
7/6/2023

रिपोर्ट फा. 10/मू-अ. नि. की जांच के आध्या (प) श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह के स्थान पर श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह शुद्ध किया जाने की सिफारिश की जाती है

[Signature]
तेहसीलदार
मुन्सुं

आदेश

मुद्रांकित रिपोर्ट तेहसीलदार राजस्व काम पाटवारी के अति खाना सं. 162 में जाची द्वारा प्रस्तुत फा. पत्र व संलग्न दस्तावेज के अनुसार जाची का नाम श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह के स्थान पर श्रीमै-रुद्रकुमार पुत्र अमरसिंह दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्जाज सम्भाव्य रहेंगे

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
शुभार (राज.)